तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
31.1.2020	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित । बहस अंतरिम निषेधाज्ञा पर सुनी गई । अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण के पिता ग्राम भोजास में परिवार सहित निवास करते थे तथा जागीरदारी का खेत खसरा नम्बर पुराना 51 तादादी 32 बीघा 10 बिस्वा भूमि काश्त सम्वत 2010 के पहले से काश्त करते थे । जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 7 ग्राम भोजास में कभी भी निवास नहीं करते थे । सभी अपने गांव पुनाडिया में निवास करते है और वहां पर कृषि कार्य करते है । सं. 2016 में सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान प्रार्थीगण के पिता अचलाराम के भाई खेमाराम का नाम बिना कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार के दर्ज कर दिया गया । खेमाराम का देहान्त हो चुका है । अप्रार्थीणों द्वारा वादगत भूमि उनके नाम से होने के कारण आगे विक्रय करने की धमकी दी है अतः अप्रार्थीगण अगर अपने मकसद में सफल हो गये तो प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा और प्रार्थीगण को अहम नुकसान होगा एवं अपनी सुधार कर उपजाऊ बनाई गई जोत से प्रार्थीगण वंचित हो जोयंगे जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी । प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत होने से व प्रार्थीगण का कब्जा काकश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है । अतः निवेदन है कि ताफैसला वाद रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगणों का पाबन्द किया जावें । अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थीगण के पिता सगे भाई थे । स्व. खेमा हमेशा से भोजास में खेती करते थे । पुनडीया कभी कभी जाते थे । खेत के समय हमेशा काश्त गांव भोजास में करते थे । अप्रार्थीगण की दादी पारू बाई जो अपने भाई के पास गांव भोजास में रहने लगी थी । पारू बाई के दो पुत्र खेमसिंह व अचलसिंह हुए जो भोजास में साथ रहे । अचला व खेमा की मृत्यु के बाद 1/2 हिस्से पर अप्रार्थीगण व अचला की मृत्यु के बाद 1/2 हिस्से पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त आज तक चला आ रहा है । इसलिए संयुक्त मालिकाने कब्जे पर प्रतिकूल कब्जा किसी पक्ष का नहीं हो सकता इस कारण प्रार्थीगा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है । अप्रार्थीगणों का वादगत भूमि पर 1/2 हिस्सा पर सम्वत 2010 से लेकर आज तक लगातार खेम व उसकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण का आज तक कब्जा काश्त खातेदारी चली आ रही है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है । अतः खारिज किया जावें । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2013–2016 में अचला वल्द रूपाराम अंकन होना प्रमाणित है । साथ ही इन्तकाल दिनांक 29.11.2010 में अचला एवं खेमा के वारिसान का नाम दर्ज किया गया है । अतः प्रार्थी अप्रार्थीगणों को ताफैसला पाबन्द किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरानम्बर 68 तादादी 8.200 हैक्टयर वाके रोही भोजास के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों । आदेश सुनाया गया । (राकेश कुमार न्योल)	

Scanned by CamScanner